

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

SENT BY E-MAIL

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-14(एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 16.02.2026

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क्र	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1.	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सागर श्री रोहित शर्मा	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. ऐसे सिविल वाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन 5,00,001/- अंकन पांच लाख एक रुपये से 25,00,000/- अंकन पच्चीस लाख रुपये तक का हो एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां

नोट- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(महेश कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 852 (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 16.02.2026

01. समस्त न्यायाधीशगण, जिला स्थापना सागर।
02. ऑब्जेक्शन क्लर्क, पंजीयन अनुभाग सागर।
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर।

की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

0/2